International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157
Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 3; Issue 1; January 2018; Page No. 393-394

औपनिवेशिक काल में शिक्षा का विकास

अशोक कुमार
Lect. in History MA, NET (History), GSSS Gudhan, Rohtak, Haryana, India

सारांश
प्रारम्भ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी का मुख्य उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। जिसके कारण उन्होनें लम्बे समय तक भारत की परम्परागत सांस्कृतिक और सामाजिक पद्धतियों में हस्तक्षेप नहीं किया। यूरोपीयों के आगमन के समय भारत शिक्षा की दृष्टि से अनेक औपनिवेशिक देशों से आगे था परन्तु शिक्षा व्यवस्था में निश्चित रूप से पिछड़ा हुआ था। कुछ साहसी और परोपकारी अंग्रेजी अधिकारियों ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतू प्रयत्न किए और कुछ भारतीय समाज सेवकों के सहयोग से अनेक स्कूल और कॉलेज खोले गए जिनके कारण वर्ण व्यवस्था पर आधारित परम्परागत शिक्षा प्रणाली ने धीरे–2 आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का रूप ले लिया। परन्तु शिक्षा का वास्तविक विकास भारत की स्वतन्त्रता उपरान्त ही हो पाया।

मूल शब्द : ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी, आर्थिक शोषण, परम्परागत सांस्कृतिक पद्धती, औपनिवेशिक देश, वर्ण व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था।

प्रस्तावना
जिस समय अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ था। भारत अपनी शिक्षा और विद्वता के लिए विश्व प्रसिद्ध था तथा अनेक यूरोपीय देशों से आगे भी था। परन्तु अंधविश्वास और सामाजिक मान्यताओं के कारण शिक्षा व्यवस्था में निश्चित रूप से पिछड़ा हुआ था। प्रारम्भ में अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा व्यवस्था में कोई अभिरूची नहीं दिखाई। यद्यपि वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ई0 में कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना[1] की और सर जोनाथन डंकन में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना[2] की। शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान एशियाई सोसायटी द्वारा दिया गया जिसकी स्थापना 1784 ई0 में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी[3]। शिक्षा प्रसार में इसका उल्लेखनीय योगदान रहा। अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा समय–समय पर अनेक आयोग व अधिनियम लाकर भारतीय शिक्षा को गति प्रदान करने की कोशिश की गई। वो बात अलग हैं कि इन सबके पीछे ब्रिटिश शासन की मंशा भारतीयों को शिक्षित करके सभ्य बनाना नहीं बल्कि 'सस्ते बाबू' उपलब्ध करवाना था जो पश्चात्य सभ्यता के अन्ध भक्त हो।

शोध–प्रविधि
प्रस्तुत शोध पत्र ऐतिहासिक विश्लेषण विधि पर आधारित हैं। इसके लिए शोध सामग्री को प्रसिद्ध पुस्तकों से संकलित किया गया हैं। चूंकि शोध कार्य द्वितियक आकड़ों पर आधारित हैं, इसलिए शोधकर्ता द्वारा आनुभाविक दृष्टिकोण अपनाकर शोध–कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

शोध के उद्देश्य
यह शोध –पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखा गया हैं:–
अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट करना।
शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करना।
राष्ट्रीय आन्दोलन में शिक्षा के महत्व को उजागर करना।
शिक्षा क्षेत्र में प्रयासों के पीछे अंग्रजों की मानसिकता को दर्शाना।
सर्वप्रथम 1813 ई0 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीय शिक्षा में विकास की ओर ध्यान दिया[4]। ब्रिटिश संसद के द्वारा पास चार्टर में यह निश्चित किया गया था कि जनता को शिक्षित बनाना कम्पनी सरकार का दायित्व हैं। भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष एक लाख रूपये व्यय करना निर्धारित किया गया। यद्यपि यह राशि बहुत कम थी फिर भी कम्पनी का यह सार्थक प्रयास था।
उस समय कम्पनी के अधिकारियों में भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर विरोधाभास था। अधिकांश अंग्रेज भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे, जबकि कुछ प्रगतिशील भारतीय व अंग्रेज अंग्रेजी शिक्षा के हिमायती थे। अंग्रेजी शिक्षा के समर्थकों को एंग्लिशिष्ट कहां जाता था। इनमें लार्ड मैकाले, मैटकाफ, राजाराम मोहन राय प्रमुख थे। दूसरी तरफ भारतीय माध्यम से शिक्षा के पक्षपाती ''ओरियन्टलिस्ट'' कहलाते थे। इसके प्रमुख नेता प्रिसेप भाई, डा0 होरेस विल्सन थे। लार्ड मैकाले के परामर्श से लार्ड विलियम बैंटिक ने अपने गवर्नर जनरल काल में प्रस्ताव पास किया कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारतीय में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए और शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि का सर्वोत्तम उपयोग शिक्षण पर किया जाए।
1835 के बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा। इसी वर्ष कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई तथा रूड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। आगे चलकर 1852 में मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना[6] की गई। इस शिक्षा प्रसार से भारतीयों के मन में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई, लेकिन वे खुद अपने देश और संस्कृति से घृणा करने लगे।

वुड्स घोषणा पत्र
1853 ई0 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार के पास एक शिक्षा सम्बन्धी योजना भेजी। यह योजना चार्ल्स वुड, की थी इसलिए इसे ''वुड्स डिस्पैच'' के नाम से जाना जाता हैं। इसे ''भारतीय शिक्षा क्षेत्र में मैग्नाकार्टा[5] '' के नाम से भी पुकारा गया हैं '' इसके द्वारा प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा की योजना रखी गई तथा स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया गया। इसमें बताया गया कि शिक्षा का वास्तविक उददेश्य यूरोपीय साहित्य,विज्ञान,कला, दर्शन आदि का समन्वय होना चाहिए। प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा डायरेक्टर की नियुक्ति की गई।लन्दन यूनिवर्सिटी के नमूने के आधार पर 1857 में कलकत्ता,

बम्बई एवं मद्रास में एक–एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।

हंटर आयोग

लार्ड रिपन ने शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए 1882 ई0 में एक आयोग की नियुक्ति सर विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता[7] में की। इस आयोग में कुल 20 सदस्य थे। इसकी रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा स्थानीय स्वायत संस्थाओं को सौंप देनी चाहिए। माधमिक शिक्षा के दो अंग हो। गैर सरकारी सदस्य भी विद्यालयों की स्थापना कर सके। हंटर आयोग की रिपोर्ट के बाद दो दशकों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विकास तेजी से हुआ। देश में कॉलेजों की संख्या 62 से बढ़कर 151 हो गई। अब प्राथमिक शिक्षा को जिला बोर्ड, लोकल बोर्ड और नगरपालिका के अधीन कर दिया गया।

वैसे तो लार्ड कर्जन ने मैकाले की शिक्षा पद्धति की आलोचना करते हुए कहा था कि 'भारत की अपनी भाषा का निरादर किया गया हैं'। फिर भी लार्ड कर्जन के कार्यकाल में शिक्षा का विकास कार्य तो हुआ लेकिन पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में हुआ।

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904)

लार्ड कर्जन में 1901 ई0 में शिक्षाविदों का सम्मेलन बुलाया लेकिन इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया। 1904 ई0 में सर टामस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की[8]। इसमें हैदराबाद के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन सैयद हुसैन विलग्रामी और कलकत्ता हाईकोर्ट के जज गुरूदास बनर्जी भी सदस्य थे। इस अधिनियम के अनुसार सीनेट द्वारा पारित प्रस्तावों को सरकार अपने विशेषाधिकार के बल पर रदद् कर सकती हैं और वह विश्वविद्यालय के लिए नियम भी बना सकती हैं। इस अधिनियम में गैर सरकारी कॉलेजों पर भी सरकारी नियंत्रण का प्रस्ताव था। विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं के निर्धारण करने का अधिकार गवर्नर जनरल को सौंपा गया था।

देश के राष्ट्रीय नेताओं तथा विद्यान परिषद के सदस्यों ने इस अधिनियम की खूब आलोचना की। विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए भी 5 लाख रूपये वार्षिक पांच वर्ष के लिए निश्चित किया गया।

1910 तक शिक्षा विभाग केन्द्रिय सरकार के गृह–विभाग के अधीन था लेकिन 1911 में गृह – विभाग से पृथक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भी एक शिक्षा सदस्य की नियुक्ति को सुनिश्चित किया गया।

सेण्डलर आयोग

विश्वविद्यालय में हुई शिक्षा की प्रगति की जांच करने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 'कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग' की नियुक्ति[9] की। डा0 माइकेल सेण्डलर इसके अध्यक्ष बनाए गए। इस आयोग में दो भारतीय सदस्य थे डा0 आशुतोष मुखर्जी और डा0 जियाउददीन अहमद। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1919 ई0 में पेश की। इसके अनुसार 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था,स्नातक एवं कुशल पाठ्यक्रम की व्यवस्था की बातें कहीं गई।

1916–21 के बीच भारतवर्ष में अनेक विश्वविद्यालय खुले। 1919 ई0 में मांटेस्यू–चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा हस्तान्तरित विषय के अंतर्गत आ गई और इसे एक मन्त्री के हाथ में दे दिया गया।

हार्टोग आयोग (1928)

1928 में फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति ने भारतीय शिक्षा पर विचार किया[10]। इसके सुझावों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का विकास किया गया। विश्वविद्यालयों में केवल मेधावी छात्रों का नामांकन किया जाए तथा छात्रों को व्यवासयिक और औद्योगिक दोनों तरह की शिक्षा दी जाए।

वर्धा शिक्षा योजना

1937 के चुनावों में बने कांग्रेस मंत्रीमण्डल के समय महात्मा गांधी ने एक शिक्षा योजना बनाई थी[11]। डा0 जाकिर हुसैन ने महात्मा गांधी के परामर्श से इस शिक्षा के प्रारूप को तैयार किया था। इसे ''वर्धा शिक्षा '' कहते हैं इस योजना में शिक्षा के साथ–साथ हस्त कलाओं को भी बढ़ावा दिया गया।

सार्जेंट शिक्षा योजना

1944 में केन्द्रिय शिक्षण परामर्श मण्डल ने सार्जेंट शिक्षा योजना तैयार[12] की। इस योजना के अनुसार भारत में प्राथमिक विद्यालय, उच्चविद्यालय,कनिष्ठ तथा उच्च बेसिक विद्यालय स्थापित करने की बात कहीं गई थी। प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने पर जोर दिया गया। लेकिन यह शिक्षा योजना अधिक सफल न हो सकी।

भारत की आजादी के समय भारत में 12.2% लोग ही पढ़े लिखे थे। 1947 में भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी और इनमें से केवल 1825000 छात्र ही विभिन्न संस्थानों में पढ़ते थे। 1947 में देश में केवल 20 विश्वविद्यालय ही थे 1948 में डा0 राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। जिसकी सिफारिश के आधार पर 1953 ई0 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई।

वस्तुतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ही भारत में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई। ब्रिटिश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बावजूद देश की 2ःजनता ही अंग्रेजी की जानकार बन पाई। हालांकि देश के शिक्षित वर्ग पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव बढ़ता ही गया।

संदर्भ

1. Society and Culture in Bangladesh, Mohammad Afsaruddin, Page -27
2. Orientalism, Empire and National culture: India, 1770-1880, M.Dodson, Page -51
3. Lalit Kala Centemporary, 36-39, 15.
4. Social and Cultural History of India Since 1556, N.Jayapalan, 80.
5. Modern Indian History, Mohammad Tarique, 4-5.
6. India's Literary History: Essays on the Nineteenth Century: Stuart H.Blackburn, Vasudha Dalmia, 2004, 141.
7. History of Indian Education System, YK Singh, 114.
8. Development and Problems of Indian Education, RP Pathak, 168.
9. Pratiyogita Darpan, Indian History, Series - 3, 127.
10. The Story of English in India, N.Krishnaswamy, Lalitha Krishnaswamy, 92.
11. भारत की स्वतन्त्रता के उपरांत आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण (1947 से 1977), Page-171 डा0 मंजू मारिया सोलोमन
12. आधुनिक भारत : सामान्य अध्ययन Rajesh Joshi Page-1902